झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

म0म0स0– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1257 / झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 के नियम– 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम–2 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 60,000 / – (साठ हजार)"** को **"रु0 80,000 / – (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम–2 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 50,000 / – (पचास हजार)"** को **"रु0 65,000 / – (पैंसठ हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iii) नियमावली के नियम–3 के उप नियम (i) में अंकित शब्द समूह "मुख्यमंत्री / मंत्री / राजमंत्री / उप–मंत्री" के पश्चात् एवं " मात्र प्रतिदिन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 1,500 / – (एक हजार पांच सौ)"** को **"रु0 2,000 / – (दो हजार) मात्र"** से तथा अंकित शब्द समूह "राज्य के अन्दर एवं" के पश्चात् तथा "राज्य के बाहर प्रतिदिन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 2,000 / – (दो हजार) मात्र"** को **"रु0 2,500 / – (दो हजार पांच सौ) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम–3 के उप नियम (ii) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है–

"हवाई / जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे। हवाई / जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा पूर्ववत् दिया जाता रहेगा।"

v) नियमावली के नियम–4 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 40,000 / – (चालीस हजार) मात्र"** को **"रु0 80,000 / – (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियमावली के नियम–4 के उप नियम (II) में अंकित शब्द समूह "मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 30,000 / – (तीस हजार) मात्र"** को **"रु0 80,000 / – (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vii) नियमावली के नियम–5 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द **"रु0 35,000/– (पैंतीस हजार) मात्र"** को **"रु0 60,000/– (साठ हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम–5 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र"** को **"रु0 45,000/– (पैंतालीस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ix) नियमावली के नियम–6 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

x) नियमावली के नियम–6 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xi) नियमावली में नियम–7 के अधीन नया उप नियम–7 (iii) को निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :–

"मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री को रु0 40,00,000/– (चालीस लाख) मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर आवास ऋण की सुविधा अनुमान्य होगी।"

xii) नियमावली के नियम–8 के उप नियम (iii) में अंकित शब्द समूह "मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/ उप–मंत्री" के पश्चात् एवं "4 (चार) प्रतिशत वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 15,00,000/– (पंद्रह लाख) मात्र"** को **"रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xiii) नियमावली के नियम –8 में नया उप नियम–8 (iv) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :–

"मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/9/2017

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1237/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9 2017 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0 संशोधन–128 / 2017 1237 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव